न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति स्नेहलता हारीत, R.A.S.

राजस्व वाद पत्र सख्या : मु.न. 1/791 /24.07.2015 (नया नम्बर 1/28/18)

सच्चिदानन्द //बनाम //कल्याणसहाय वगैरा

आदेश दिनांक : 30-12-2020

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि वादी इस प्रकरण में प्रतिवादी 1 व 4 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवा पाया है ना ही सम्मन तलबाना पेश किया गया है। प्रतिवादी न.4 भी फौत हो गया है जिसके सम्बन्ध में भी वादी की ओर से कोई दरख्वास्त पेश नहीं की गई है। वादी दावे को जानबूझकर लम्बित कर रहा है। प्रकरण में तामील नहीं होने के कारण वादी का दावा खारिज किया जावे।

योग्य अधिवक्ता वादी का कथन है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब करने हेतु रजिस्टर्ड तलबाना सम्मन पेश किया था तथा सम्मन की प्रति सम्बन्धित प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है जिसकी रसीद पेश की है। इसलिए दावे को खारिज करने का कोई आधार नहीं बनता है।

हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 2015 में संस्थित किया गया था तथा दावा दायरी के समय ही सम्मन तलबाना पेश किया गया था जिसे काफी समय हो चुका है। प्रकरण में प्रतिवादी न. 2,3,5,6,7,8 की तामील हो चुकी है। परन्तु प्रतिवादी न.1 व 4 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की तामील बकाया चल रही है। प्रतिवादी न.1 के सम्मन की तामील पर तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी न.1 का वहां नहीं रहना बताया गया है। जब प्रतिवादी न.1 सम्मन में उल्लेखित स्थान पर रहता ही नहीं है तो वादी को उसके वास्तविक पते की जानकारी कर सही पते पर उसका सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना चाहिए था जबकि वादी ने जो रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश की है वह सम्मन में अंकित पूर्व पते की ही पेश की है। यद्यपि वादी की ओर से दिनांक 17.04.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने की रसीद पेश की है, परन्तु यह रसीदें वादी की ओर से लगभग 2 वर्ष 08 माह के अन्तराल के बाद न्यायालय में अब पेश की गई है जबकि न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 09.04.2018 में ही यह हिदायत दी गई थी कि यदि वादी द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया तो वाद पत्र को Non Comliance में खारिज कर दिया जावेगा।

Scanned with CamScanner

इसके बावजूद भी वादी लगभग 2 वर्ष 08 माह तक इन रजिस्टर्ड सम्मन भेजने की रसीदों को लेकर बैठा रहा और न्यायालय में पेश नहीं की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2019 को भी पुनः रजिस्टर्ड ए.डी. तलबी के आदेश दिये गये थे परन्तु वादी द्वारा इस आदेशिका की भी पालना नहीं की गई। न्यायालय द्वारा वादी को लगभग 2 वर्ष 08 माह तक बार-बार पर्याप्त समुचित अवसर दिये जाने, Cost पर अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी की ओर से न तो सम्मन भेजने की रसीदें न्यायालय में पेश की है ना ही प्रतिवादी न.1 का वास्तविक पता व अन्य जानकारी न्यायालय को दी गई और ना ही सम्मन तलबाना न्यायालय में पेश किये गये। इससे ऐसा जाहिर होता है कि वादी को उक्त वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। वादी की इस उदासीनता से शीघ्र एवं सुलभ न्याय की मंशा विफल हो जाती है। प्रश्नगत मामले में वादी स्वंय ही इतना उदासीन है कि दावा दायरी से अब तक समय-समय पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वह प्रतिपक्ष की सत्यक रूप से तामील (सर्विस) कराने में असफल रहा है। वादी का इस सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी के कथनानुसार प्रतिवादी न.4 फौत हो चुका है। वादी द्वारा भी इस कथन से इन्कार नहीं किया गया है। परन्तु वादी की ओर से न तो इस सम्बन्ध में कोई सूचना न्यायालय को दी है ना ही आर्डर 22 रूल 4 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।

उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि वादी स्वंय ही दावे को चलाने में उदासीन है तथा कोई रूचि नहीं रखता है। वादी की मंशा प्रश्नगत मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की है। अतः वादी का दावा Non Comliance/Default में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

(स्नेहलता हारीत)

R.A.S.

Scanned with CamScanner